न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 18/2020 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2020/00151

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. रमेश कुमार उर्फ रमेश सिंह पुत्र प्रभुजी जाति पुरोहित, निवासी साण्डेराव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली		भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित
रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 25/8/21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 42/2020 बअनवान सरकार बनाम रमेश कुमार में पारित आदेश दिनांक 21.07.2020 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया एवं बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि रेस्पोडेंट तहसीलदार ने अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलांट के विरूद्ध आदेश पारित किया कि अपीलांट द्वारा ग्राम साण्डेराव के खसरा नंबर 891 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गै.मु. तालाब की भूमी पर अवैध रूप से पश्चावतवृती अतिक्रमण कर कब्ज़ा किया गया है। तथा अपीलांट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए खसरा नंबर 891 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गै.मु. तालाब की भूमी पर अतिक्रमण कर कब्जा करने पर अतिक्रमी घोषित कर भूमी से बेदखल करने के साथ ही लगान 4 रू का 50 गुणा 200/–रूपये जुर्माना अधिरोपित किया तथा अपीलांट को पश्चातवृती अतिक्रमी घोषित करते हुए अतिक्रमी अपीलांट को 3 माह के सिविल कारावास से भी दण्डित किया गया है। उक्त आदेश निम्न आधारों पर निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखली का आदेश पारित करने में विधि व तथ्यों की भारी भूल की है। उक्त निर्णय एकतरफा कार्यवाही कर पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश में ऐसी स्थिति व परिस्थिति नहीं है। अपीलांट पेशी पर सुबह से शाम 4 पी.एम. तक तहसील कार्यालय में उपस्थित रहा फिर तहसीलदार साहब की अनुपस्थिति में लिपिक द्वारा तहसीलदार साहब आज नहीं आयेंगे पेशी कल पता कर लेना कहा गया। फिर अपीलांट को जानकारी हुई कि अदम पैरवी में प्रकरण का निस्तारण कर जैर अपील आदेश पारित कर दिया जो अपास्त योग्य है। अपीलांट की भूमी का सीमांकन नहीं किया गया राजनैतिक दबाव व प्रभाव के अनुरूप एक तरफा अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। अपीलांट का अपनी खातेदारी भूमी पर कब्जा है पास ही तालाब की भूमी है तथा उसकी भूमी में तालाब का पानी आने से जमीन के कटाव को रोकने के उद्धेश्य से दीवार का निर्माण करवाया गया दीवार अपीलांट के हक अधिकार व कब्जे की भूमी पर है सीमांकन के बाद अवैध कब्जा पाया जाता है तो अपीलांट तुरन्त हटा लेगा। प्रकरण निस्तारण से पूर्व अपीलांट को समूचित साक्ष्य सबूत पेश करने व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं मातहत अदालत द्वारा सिविल कारावास जैसा कठोर निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त किया जाना न्यायोचित है। पटवार हल्का/भू [illegible] नहीं लिए गए है जिस तथ्य के कारण अप्रार्थी को सिविल कारावा[illegible] दी गई है वह प्रकरण में साबित ही नहीं किया गया है। [illegible] साबित किए जैर अपील आदेश निरस्तनीय है लिहाजा जैर अपील आदेश [illegible] फरमाया जावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपील[illegible] ग्राम साण्डेराव के खसरा नंबर 891 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गै.मु. तालाब की भूमी पर पश्चातवृती अतिक्रमण किया है जैर अपील भूमी नियमन योग्य नहीं है तथा

क्रमश..........2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:38:31 IST
Reason: SelfAttested

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

अपनी खातेदारी आराजी की आड़ में तालाब की भूमी पर दिवार बनाकर अतिक्रमण कर दिया है जिसे बेदखल किया जाना आवश्यक है। पूर्व में भी अपीलांट द्वारा वर्ष 2019 में भी इसी भूमी पर अतिक्रमण किया था जिसका प्रकरण संख्या 183/2019 दर्ज कर नियमानुसार आराजी से बेदखल करने बाबत आदेश पारित किया गया था तथा पुनः वर्ष 2020 में तालाब की उसी भूमी पर अतिक्रमण कर देने पर अपीलांट पश्चातवृती अतिक्रमी घोषित किया जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया जिसे यथावत रखा जावे। जैर अपील भूमी प्रतिबंधित भूमी की श्रेणी में होने से इसका नियमन नहीं हो सकता अतः अपीलांट की अतिक्रमण करने की प्रवृती को रोकने हेतु अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस सुनी गई इस न्यायालय की पत्रावली एवं मातहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया अपीलांट द्वारा ग्राम साण्डेराव के खसरा नंबर 891 की 0.02 हैक्टेयर भूमी किस्म गै.मु. तालाब पर अतिक्रमण किया है तथा दीवार बना कर किया गया है अपीलांट के विरूद्ध पूर्ववृती वर्ष में भी प्रकरण संख्या 183/2019 दर्ज कर उसमें बेदखली के आदेश पारित किए गए थे। जिसके नोटिस की प्रति तहसीलदार की पत्रावली संलग्न है। फिर भी वर्ष 2020 में पुनः अतिक्रमण करने पर पटवार हल्का द्वारा पश्चातवृती अतिक्रमण करने बाबत अतिक्रमण रिपोर्ट पेश की गई तभी जैर अपील आदेश अपीलांट के विरूद्ध पारित किया गया जो न्यायोचित है। वकील अपीलांट का यह कथन कि अपीलार्थी को मातहत अदालत द्वारा नोटिस नहीं दिया गया जो सर्वथा असत्य है। क्योंकि मातहत अदालत की पत्रावली में अपीलांट अतिक्रमी रमेश कुमार दिनांक 21.7.2020 की पेशी बाबत नोटिस दिया गया था। जिसके पृष्ठ भाग पर अपीलांट के हस्ताक्षर से स्पष्ट है। अपीलांट के अधिवक्ता का अतिक्रमण की आड़ में सीमांकन कराने का कथन करना भी न्यायोचित नहीं है सीमांकन के लिए तहसील कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निर्धारित शुल्क जमा करा कर सीमांकन करवा सकता है अपीलार्थी द्वारा ऐसा नहीं कर अतिक्रमण कर दिया जिसे विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता है अपीलार्थी को नोटिस मिलने पर उसका जवाब मातहत अदालत में प्रस्तुत कर यथोचित पैरवी करनी चाहिए थी जो नहीं की गई एवं सीमांकन का कथन भी इस स्तर पर अपीलीय न्यायालय में करना न्यायोचित नहीं है। पटवार हल्का सांडेराव ने स्पष्ट रूप से अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट की जिसके आधार पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रकरण दर्ज कर निर्णय पारित किया गया तथा उसकी पालना में अपीलार्थी को पटवार हल्का, सरपंच , भू अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव एवं मौतबिरानों की उपस्थित में भौतिक रूप से जरिये जेसीबी के अतिक्रमण हटाया जाकर मौका फर्द दिनांक 10.9.2020 की बनाकर पेश की जो पत्रावली संलग्न है। इससे भी अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया जाना तथा रूबरू मौतबिरान के हटाया जाना सिद्ध है। ऐसी स्थिति में मातहत अदालत द्वारा जैर अपील आदेश सरकारी भूमी पर अतिक्रमण करने की प्रवृती को रोकने हेतु पारित किया है जो न्यायोचित है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन एवं तथ्यों से परे होने के कारण खारिज की जाती है एवं तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 42/2020 बअनवान सरकार बनाम रमेश कुमार में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2020 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ मातहत अदालत से प्राप्त पत्रावली के साथ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/8/ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:38:31 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली